



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संस्कृति विद्यापीठ
School of Culture

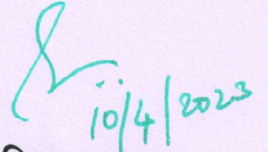
प्रो. एल. कारुण्यकरा
Prof. L. Karunyakara
अधिष्ठाता/Dean /

दूरभाष एवं फैक्स/Tel.&Fax: +91-7152-24697

पत्रांक : 28/CDTS/BOS/2021/04 / 210
दिनांक: 10/04/2023

कार्यालयादेश

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर-सिंदो-कान्हू मुर्मू दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र की दि. 24.02.2023 को आयोजित अध्ययन-मंडल (BOS) की 23 वीं बैठक एवं माननीय कुलपति महोदय की अनुमोदन के आधार पर पी-एच.डी. शोधार्थी श्री श्रेयात को उनके आवेदन दि. 21.02.2023 के आधार पर दि. 24.02.2023 से वि-पंजीकृत (de-register) किया जाता है। यह वि-पंजीकरण (de-registration) प्रवेश तिथि से 10 वर्ष तक के लिए मान्य होगा। शोधार्थी को पुनर्पंजीकरण (re-registration) कराये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर शोध-प्रबंध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


10/4/2023
अधिष्ठाता/Dean

प्रति :

- 1) श्री श्रेयात, पी-एच.डी. शोधार्थी दलित एवं जनजातीय अध्ययन
- 2) संबंधित शोध-निर्देशक
- 3) निदेशक, डॉ.बा.अ.सि.का.मु. दलित एवं जनजातीय अध्ययन केंद्र

प्रतिलिपि :

- 1) कुलपति कार्यालय (सूचनार्थ)
- 2) कुलसचिव कार्यालय (वेबसाइट पर अपलोड हेतु)
- 3) रक्षित पत्रावली
- 4) संबंधित पत्रावली